


भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



टेलीफैक्स +91-135-2744064, 2743331
Telefax
वेबसाइट www.surveyofindia.gov.in
Website
ई-मेल sgo soi@gov.in
E-Mail sgo.conf soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
Office of the Surveyor General of India
हाथीबढ़कला एस्टेट, डाक बक्स सं० 37,
Hathibarkala Estate, Post Box No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

संख्या: सी-2213/707/संग्रह-82

दिनांक: 21 जून, 2024

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: दक्षिणी क्षेत्र / जीआरएफ एण्ड जीडीईडी / उत्तरी क्षेत्र।

निदेशक: केरल एवं लक्षद्वीप आईलैण्ड विंग / एन जी0डी0 / पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ जी0डी0।

विषय: अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण / तैनाती।

निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) डिवीजन-1 को अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर पे मैट्रिक्स में लेवल 8 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण / तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	टिप्पणी
1.	Shri K.G. Unnikrishnan	Keral & Lakshadweep Island Wing, Thiruvananthapuram	Andhra Pradesh & Telangana GD, Hyderabad	पात्रता की तिथि 27-06-2024
2.	Shri Sayan Singh Badwal	N GD, Dehradun	G&RB, Dehradun	—
3.	Shri Mohinder Pal	Pb,Hr,HP & Chandigarh GD, Chandigarh	J&K and Ladakh GD, Jammu	—

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से प्रभावी होगी। इस आदेश को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए। पदोन्नति की स्वीकृति अथवा पदोन्नति की अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 05-07-2024 तक अवश्य सूचित करें। अधिकारी द्वारा पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने पर उनके प्रमाण-पत्र फार्म 0.115 (लेखा) की दो प्रतियां इस कार्यालय को शीघ्र भेजने की कृपा करें।

3. उपरोक्त कर्मचारियों को यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि यदि वे पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/86-स्था0(डी) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों "no fresh offer of appointment on promotion shall be made in such case for a period of one year from the date of refusal of first promotion or till a next vacancy arises, whichever is later." के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा।

4. अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति के कास्ट स्टेटस (Caste Status) एवं PwBD Category सम्बन्धी व्यक्ति के प्रमाण-पत्र के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जन जाति/ PwBD Category से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

5. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किये जायें।

6. उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए FR 22 (I)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा तथा यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी को MACP योजना के अन्तर्गत FR 22 (I)(a)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुरूप करें।

7. These promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No.36012/11/2016-Estt.(Res-I) {Pt-II} dated 15-06-2018 and DST's No.SM/02/10/2017 dated 16-05-2019. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No.30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & Others) and the SLP (C) No.31288/2017 and any other court case in connected matter. Further subject to outcome of OA No.61/519 of 2018 filed by Shri Jasbir Singh Bangari, then Officer Surveyor Vs Union of India & Others.

8. पदोन्नत अधिकारियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर लें तथा अधिकारी की Service Book में रिकार्ड हेतु रखें।

संलग्न: यथोपरि।

(प्रशान्त कुमार)

उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक: आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी डी/जी एण्ड आर वी/जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख जीडी।
2. लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून।
3. लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद/जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, कार्य अध्ययन एकक, महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून।
5. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/जे0सी0एम0 अनुभाग/ए0सी0आर0, महासर्वेक्षक का कार्यालय।
6. वैंव एडमिन, महासर्वेक्षक का कार्यालय/इंचार्ज, ई-ऑफिस, महासर्वेक्षक का कार्यालय।
7. SPS to SGI

UNDERTAKING

I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of *SLP (C) No.3062/2011(Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & Others)* and *the SLP (C) No.31288/2017 and any other court case in connected matter.*

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं *SLP (C) No.3062/2011(Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & Others)* and *the SLP (C) No.31288/2017 and any other court case in connected matter* के निर्णय (outcome) का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित